Non-fare Revenue (NFR)

बजट घोषणा के अनुसार, गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए, रेल मंत्रालय ने NFR Directorate के भीतर विभिन्न पहलों पर नई नीतियों की घोषणा की है।

ये नीतियां ट्रेनों और अन्य क्षेत्रों जैसे पुलों और अन्य परिसंपत्तियों में विज्ञापन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की जांच कर निम्नांकित नीतियो की घोषणा की:

नीतियों की मुख्य विशेषताएं:

नीतियां उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं। नीतियों में जिन प्रमुख जानकारियों पर विचार किया गया है उनमें से कुछ हैं-

- दीर्घकालिक अनुबंध - 10 साल
- भारतीय रेलवे के भीतर संपर्क का एकल विंदु - NFR Directorate
- साझेदार की विश्वसनीयता - जिसमें तकनीकी और वित्तीय क्षमता मॉडल शामिल है
- पारदर्शी प्रक्रिया - ई- नीलामी
- रेलवे परिसंपत्तियों के लिए बेहतर मीडिया नियोजन - जोन/ट्रेन/स्टेशन वार पैकेज की नीतियां की अनुमति देना:

प्रमुख नीतियां:

1. Unsolicited Proposals:

- इस नीति का उद्देश्य भारतीय रेलवे को गैर-किराया स्रोतों के माध्यम से आय के Unsolicited Proposals पर विचार करने की अनुमति देना है
- मंडल/जोनल स्तर पर एक NFR Evaluation Committee परियोजना की परिचालन और कानूनी व्यवहार्यता और प्रस्तावक की तकनीकी और E-auction के माध्यम से पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा
- सबसे ऊंची बोली से मेल खाने के लिए प्रस्तावक को पेश किए जाने वाले पहले इनकार का अधिकार होगा
- भारतीय रेलवे पांच साल की अवधि के लिए गैर-किराया राजस्व अनुबंधों की पेशकश करेगा
- गैर-किराया राजस्व नीति एक कमाई योजना की अवधारणा में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करेगी
- भारतीय रेलवे के लिए पूरी कवायद cost neutral होगी।

2. Out of Home Policy (OOH):

- इस नीति का उद्देश्य विज्ञापन के माध्यम से रेलवे परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की अनुमति देना है
- भारतीय रेलवे ने राइट्स को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था जिन्होंने अर्न्स्ट एंड यंग को प्रोफेशनल मीडिया मार्केट मूल्यांकन एजेंसी (पीएमएमईए) के रूप में नियुक्त किया था
- मौजूदा पहचान वाली साइटों के अलावा, भारतीय रेलवे अब तक अप्रयुक्त क्षेत्रों में विज्ञापन की अनुमति देगा, यानी पटरियों के साथ क्षेत्र, सड़क ओवर ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग गेट्स आदि।
- स्टेशन भवनों, प्लेटफार्मों, फुट ओवर ब्रिज (स्टेशन क्षेत्र की ओर जाने वाले) आदि में स्टेटिक विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह रेल डिस्प्ले नेटवर्क में शामिल है
- भारतीय रेलवे विज्ञापन क्षमता का सबसे अधिक उपयोग करने के लिए डिजिटल सहित सभी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति देगा।
- विज्ञापन अधिकार दस साल के लिए प्रदान किए जाने हैं

Scanned with CamSc

• विज्ञापन परिसंपत्ति पैकेज के आकार जोनों/क्षेत्रों के समूहों के लिए बोली लगाने के लिए अलग से मुंबई और दिल्ली क्षेत्र के लिए की पेशकश की जाएगी

• विज्ञापन परिसंपत्तियों को एक पारदर्शी E-auction के माध्यम से पेश किया जाएगा...

3. Train Branding Policy :

इस नीति का उद्देश्य आंतरिक और बाह्य विज्ञापन की अनुमति देकर भारतीय रेलवे के विज्ञापन राजस्व को बढ़ाना है

• इस नीति से अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने पर साकार करने और अधिक विपणन लचीलापन देने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय रेलवे के लिए आय की अधिक प्राप्ति होगी।

• भारतीय रेलवे ने राइट्स को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था जिसने अर्न्स्ट एंड यंग को प्रोफेशनल मीडिया मार्केट इवैल्यूएशन एजेंसी (पीएमएमईए) के रूप में नियुक्त किया था

• ट्रेन के बाहरी (एसी कोचों की खिड़कियों सहित) के विनाइल रैपिंग के माध्यम से विज्ञापन और कोचों के अंदर की अनुमति दी जाएगी

• अनुबंध की अवधि 10 साल होगी।

• ट्रेन ब्रांडिंग पैकेज आकार चरणबद्ध तरीके से बोली लगाने के लिए पेश किए जाएंगे (जैसे राजधानी पैकेज, शताब्दी पैकेज आदि)

• एक पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पेश की जाने वाली विज्ञापन परिसंपत्तियों को अनुबंध के अंत तक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक उत्पन्न होने की उम्मीद है

4. Content on demand Policy :

• इस नीति का उद्देश्य ट्रेनों और स्टेशनों पर मनोरंजन आधारित सेवाओं के मुद्रीकरण की अनुमति देना है

• मनोरंजन सेवाएं ऑडियो (पी.ए. सिस्टम) और वीडियो सिस्टम (यात्रियों के व्यक्तिगत उपकरणों) के माध्यम से ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर प्रदान की जाएंगी

• फिल्मों, शो, शैक्षिक कार्यक्रमों जैसी सामग्री का प्रावधान भुगतान और अवैतनिक दोनों प्रारूपों में होगा

• भारतीय रेलवे मांग सेवाओं के अनुबंध पर सामग्री की पेशकश करेगा दस साल

• एक पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पेश की जाने वाली संपत्ति

• अनुबंध के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति उत्पन्न होने की उम्मीद है

5. ATM Policy:

• इस नीति का उद्देश्य भारतीय रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर एटीएम स्थापित करने की अनुमति देना है

• भारतीय रेलवे दस साल की अवधि के लिए स्टेशनों के अनुबंधों पर एटीएम की पेशकश करेगा

• एटीएम का स्थान स्टेशन के Circulating Area में या अंतिम प्लेटफार्मों या प्रमुख स्थान पर होगा

• एक पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पेश की जाने वाली परिसंपत्तियों की पेशकश की जाएगी

• 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उत्पन्न होने की उम्मीद है अनुबंध के अंत तक

Scanned with CamSc